न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2013/00071

1. शंकर लाल आत्मज श्री बजरंग लाल जाति कुम्हार निवासी शंकर कोलोनी के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. घनश्याम आत्मज श्री बजरंग लाल जाति कुम्हार निवासी शंकर कोलोनी के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. बृजमोहन आत्मज श्री बजरंग लाल जाति कुम्हार निवासी शंकर कोलोनी के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. गिरिराज आत्मज श्री बजरंग लाल जाति कुम्हार निवासी शंकर कोलोनी के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. कैलाश आत्मज श्री बजरंग लाल जाति कुम्हार निवासी शंकर कोलोनी के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. घासी आत्मज कल्याण जाति कुम्हार निवासी खासपुरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   1/1. राधेश्याम आत्मज घांसी जाति कुम्हार निवासी खासपुरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/2. भरोसी बाई पुत्री घांसी जाति कुम्हार निवासी खासपुरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामकुंवार आत्मज कल्याण जाति कुम्हार निवासी खासपुरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. छीतर आत्मज नारायण जाति कुम्हार निवासी खासपुरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 12.10.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खासपुरिया तहसील नैनवा में कुल 09 किता की रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में गलत रूप से अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज है जबकि यह भूमि प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है । इसी प्रकार ग्राम खासपुरिया तहसील नैनवा में कुल 03 किता की रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि को वर्तमान में गलत रूप से अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 के नाम खातेदारी में दर्ज किया गया है जबकि यह भूमि भी पक्षकारान के संयुक्त खाते की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का 1/6 – 1/6 हिस्सा तथा अप्रार्थी क्रम 03 का 1/2 हिस्सा निहित है । उक्त भूमि पूर्व में खातेदार कल्याण वल्द गंगोल्या जाति कुम्हार के खाते में दर्ज थी जिनके प्रार्थीगण पौत्र एवं अप्रार्थी क्रम 1 व 2 पुत्र हैं । पूर्व खातेदार कल्याण की मृत्यु के बाद जो इंतकाल खुला वह अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 2 ने बजरंगलाल का कल्याण का पुत्र होना छुपाकर राजस्व अधिकारियों से मिली भगत करके केवल अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के नाम ही खुलवा लिया । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का संयुक्त हिस्सा पूर्व खातेदार कल्याण के पौत्र होने से 1/3 व 1/6 है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है । प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के 1/3 व 1/6 हिस्से का स्वयं को खातेदार घोषित करावे । अप्रार्थीगण उक्त भूमि को अपने नाम खाते में दर्ज होने के आधार पर रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्यथा किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें ।

4. अप्रार्थी क्रम 01 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.04.2013 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.04.2013 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि गलत रूप से अपने नाम दर्ज होने के आधार पर खुर्द–बुर्द अथवा रहन, बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल इस आधार पर कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती– अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्टगण के पक्ष में

है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु वकील साहब को नियुक्त कर रखा था और उनके वकील साहब ने आवश्यकता होने पर सूचना करने के लिए कहा था परन्तु उनके वकील साहब द्वारा अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी गई । अपीलान्टगण द्वारा अपने वकील साहब से दिनांक 21.07.2013 को दूरभाष पर सम्पर्क करने पर अपीलाधीन निर्णय के बारे में बताया जिस पर दिनांक 22.07.2013 को उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में एक दावा अधिकार घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसमें धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया । वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खासपुरिया तहसील नैनवा में खाता संख्या नया 34 में कुल 09 किता की रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा स्थित है । उक्त भूमि में गलत रूप से अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 खातेदार दर्ज है जबकि इसमें प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा निहित है । अपीलान्ट प्रार्थीगण अपने हिस्से के अनुसार काश्त कर रहे हैं । इसी प्रकार ग्राम खासपुरिया तहसील नैनवा में खाता संख्या नया 36 में कुल 03 किता की रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें भी प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा निहित है । अपीलान्टगण ने मिलान क्षेत्रफल भी पेश किया है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार कल्याण वल्द गोगल्या थे । कल्याण के 03 पुत्र हुए बजरंगलाल, घांसी और रामकंवर । घांसी और रामकंवर ने त्रुटिपूर्ण रूप से आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली है जबकि प्रार्थीगण कल्याण के पौत्र हैं और वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं । नारायण का पुत्र छीतर लाल अप्रार्थी संख्या 03 है । रेस्पोडेन्टगण यदि वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द कर देंगे तो अपीलान्टगण को अपूर्णीय क्षति होगी । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्टगण के पक्ष में है । सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी अपीलान्टगण के पक्ष में है । अतः अपीलान्ट अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2013 निरस्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेन्टगण को वादग्रस्त आराजी को विक्रय नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2015 (1) पेज 450 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । बजरंग लाल कल्याण का पुत्र नहीं था और न ही अपीलान्टगण कल्याण के वारिस हैं । बजरंग लाल किसी अन्य कल्याण का पुत्र होगा । इसका फायदा उठाकर अपीलान्ट ने यह दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है उनका कोई प्रथमदृष्टया प्रकरण

नहीं है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2013 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2028–47 नया खाता संख्या 03 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 09 किता की 30 बीघा 03 बिस्वा भूमि घांसी व रामकुंवार के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2023–26 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 10 किता की 37 बीघा 14 बिस्वा आराजी कल्याण वल्द गंगोल्या के खाते में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल एवं नामान्तरकरण की फोटो प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है । नामान्तरकरण की फोटो प्रति पठनीय नहीं है । इसके अलावा नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 नया खाता संख्या 34 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 09 किता की रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा आराजी घांसी, रामकुंवार पिसरान कल्याण के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2028–2047 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 01 में कुल 03 किता की रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा आराजी कल्याण व नारायण पिसरान गंगोल्या के खाते में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रतियॉ भी संलग्न हैं । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2019–22 संलग्न है जिसके अनुसार 03 किता की 12 बीघा 17 बिस्वा आराजी कल्याण व नारायण पिसरान गंगोल्या के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2028–2047 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 09 किता की रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा आराजी घांसी व रामकुंवार पिसरान कल्याण के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2023–26 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 10 किता की रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा आराजी कल्याण वल्द गंगोल्या के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2023–26 नया खाता संख्या 11 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 03 किता की रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा आराजी कल्याण, नारायण पिसरान गंगोल्या के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 06 संलग्न है जिसके अनुसार कल्याण और नारायण की आराजी में कल्याण की मृत्यु हो जाने पर उसके 1/2 हिस्से में घांसी, रामकुंवार का नाम दर्ज किया गया है ।

13. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उसके अनुसार खाता संख्या 34 में कुल 09 किता की रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा आराजी घांसी और रामकुंवार के संयुक्त खाते में दर्ज है और नया खाता संख्या 36 में कुल 03 किता की रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा आराजी घांसी, रामकुंवार पिसरान कल्याण व छीतर पुत्र नारायण के संयुक्त खाते में दर्ज है । अपीलान्ट का यह कथन है कि बजरंग लाल, कल्याण का पुत्र था परन्तु सहवन उनका नाम कल्याण की मृत्यु के समय खोले गये नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया और वे बजरंगलाल के वारिस होने के नाते वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं । वादीगण अपीलान्ट बजरंगलाल के वारिस होने के नाते वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं

अथवा नहीं । बजरंग लाल, कल्याण का पुत्र था अथवा नहीं ये समस्त तथ्य मूल दावे में के उपरान्त तय होंगे इस स्टेज पर नहीं । वादीगण अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी मे घोषणा की सहायता मांगी है और यदि उनका दावा स्वीकार किया जाता है तो वो घांसी रामकुंवार के साथ सहखातेदार दर्ज होने के अधिकारी होंगे । इन तथ्यों के आधार प आरएलडब्ल्यू 2015 (1) पेज 450 के अनुसरण में रेस्पोडेन्टगण घांसी के वारिसान एवं रामव को वादग्रस्त आराजी को ताफैसला दावा विक्रय नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से प किया जाना उचित समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र पूर्ण खारिज करने में विधिक त्रुटि की है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2013 निरस्त किया जाता है । रेस्पोड क्रम 1/1 एवं 1/2 और रेस्पोडेन्ट क्रम 02 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया ज है कि ताफैसला दावा ग्राम खासपुरिया की आराजी नया खाता संख्या 34 खसरा नम्बर 5 रकबा 04 बिस्वां, खसरा नम्बर 745 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 751 रकबा बिस्वा, खसरा नम्बर 754 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 755 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खस नम्बर 767 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 970 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम 1054 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1055 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा कुल 09 कि की रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा एवं खाता संख्या नया 36 की ग्राम खासपुरिया की आराजी खस नम्बर 488 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 492 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा एवं खस नम्बर 510 रकबा 06 बिस्वा कुल 03 किता की रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा आराजी में उनव निहित हिस्से का रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करें ।

15. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.10.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा